

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला): देहरादून P.S. (थाना): नेहरू कालोनी Year (वर्ष): 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0302 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 06/09/2020 02:09 घंटे
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1 | भा दं सं 1860 | 376 |
| 2 | भा दं सं 1860 | 506 |
- (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/09/2020 Time (समय): 23:50 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 053 Date and Time (दिनांक और समय): 05/09/2020 23:50 बजे
- Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
- Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): , कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भिन्न -भिन्न,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): प्रीती बिष्ट

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री इन्दर सिंह बिष्ट

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989 (d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सारथी विहार अपर राजीव कालोनी, निकट गैलेक्सी स्कूल, नेहरू कालोनी, देहरादून, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	सारथी विहार अपर राजीव कालोनी, निकट गैलेक्सी स्कूल, नेहरू कालोनी, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	महेश नेगी		पिता का नाम : श्री प्रेम सिंह नेगी	1. एम0एल 0ए0 होस्टल रेसकोर्स,नेहरू कालोनी,देहरादून,उत्तराखंड,भारत
2	श्रीमती रीता नेगी		पत्नी का नाम : महेश नेगी	1. एम0एल0ए0 होस्टल रेसकोर्स,नेहरू कालोनी,देहरादून,उत्तराखंड,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रा0 पत्र टाईप शुदा -समक्ष न्यायालय ए0 सी0 जे0 एम0 पंचम देहरादून प्रार्थना पत्र स0 / 2020 प्रीति बिष्ट पत्नी श्री दीपक कुमार पुत्री श्री इन्दर सिंह बिष्ट निवासी सारथी विहार, अपर राजीव कालोनी, निकट गैलेक्सी स्कूल थाना नेहरू कालोनी देहरादून। प्रार्थिनी विपरित 1-महेश नेगी पुत्र श्री प्रेम सिंह नेगी निवासी एमएलए होस्टल , रेस्कोर्स, देहरादून। 2-श्रीमती रीता पत्नी महेश नेगी निवासी एम0 एल0 ए0 होस्टल , रेस्कोर्स, देहरादून। विपक्षीगण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र थाना नेरू कलोनी महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी एक विवाहित महिला है प्रार्थिनी का मायका द्वाराहाट जिला अल्मोडा में है। प्रार्थिनी के मायके से एक मकान छोड़कर द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पुत्र श्री प्रेम सिंह नेगी ने अपना नया मकान बनाया हुआ है जहाँ वह अकेले रहते हैं उनके साथ अक्सर उनके ड्राइवर व गनर उनके साथ रहते हैं। विधायक नेगी का परिवार पुराने पैतृक भवन में अलग से रह रहा है। प्रार्थिनी एवं उनके परिवार के सदस्यों का अक्सर आपस में मिलना जुलना रहा इसी दौरान प्रार्थिनी की माता बीमार पड़ी और उन्हें स्टीम से ईलाज कराने की डक्टर द्वारा सलाह दी गई। इस बात की जानकारी जब महेश नेगी को हुई तो उन्होंने प्रार्थिनी से कहा कि अपनी माता को बाहर ईलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास स्टीम देने वाली मशीन घर में उपलब्ध है इसलिए उनका ईलाज उसके निवास पर ही हो जायेगा। उनकी बात पर विश्वास करके प्रार्थिनी अपनी माता को लेकर उन्हें स्टीम दिलायी। एक दिन माह जून 2018 को जब प्रार्थिनी अपनी माता को स्टीम दे रही थी तो महेश नेगी ने उन्हें ईशारा करके कमरे से बाहर बुलाया और प्रार्थिनी के बाहर निकलते ही उन्होंने कहा एक शैल्फी लेते हैं प्रार्थिनी ने पड़ोसी व बुजुर्ग मानते हुये सेल्फी लेने पर विशेध नहीं किया। इसका लाभ उठाकर विपक्षी महेश नेगी ने प्रार्थिनी को अपनी बाहों में भर लिया जब प्रार्थिनी ने विरोध किया तो महेश नेगी ने कहा तुम घबराती क्यूं हो मैं तुम्हारा हमेशा खयाल रखूंगा परन्तु ये बाते तुम अपने घर नहीं बताओगी यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी ये सारी बाते वायरल करके तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मेरे घर में सी सी कैमरे लगे हैं इसलिए अब जैसा मैं तुमसे कहता हूँ बस तुम वैसा ही करती जाओ विश्वास करों मैं तुम्हे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इस पर प्रार्थिनी ने घबरा कर कहा कि दिनांक 03/12/2018 को उसकी शादी होने वाली है मैं बदनाम हो जाऊंगी फिर कहाँ जाऊगी और क्या करूंगी इस पर महेश नेगी ने कहा तुम बिलकुल चिन्ता मत करो आगे जो भी होगा मैं खुद देख लूंगा। महेश नेगी ने अपने घर मे लगे कैमरे से या फिर किसी मोबाईल से प्रार्थिनी की कुछ गलत फोटो भी बना ली थी। वह फोटो दिखाकर प्रार्थिनी पर दबाव बनाया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रार्थिनी की शादी से पहले दिनांक 01/12/2018 को महेश नेगी प्रार्थिनी को साथ लेकर मसूरी गये तथा वहाँ कैम्पटी रोड स्थित होटल पर अपने साथ रखा और प्रार्थिनी की मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया प्रार्थिनी के यह कहने पर कि आपने यह ठीक नहीं किया तो उन्होंने कहा अब जो हुआ है इस बारे में अपना मुंह मत खोलना नहीं तो ठीक नहीं होगा। महेश नेगी की धमकी के कारण प्रार्थिनी ने यह बात किसी को नहीं बताई और दिनांक 03/12/2018 को प्रार्थिनी की शादी दीपक कुमार निवासी शामली उत्तर प्रदेश के साथ सम्पन्न होने के बाद प्रार्थिनी

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुँचने के कुछ दिन उपरान्त ही महेश नेगी ने फोन करके वापस आने को कहा मजबूरी एवं डर के कारण प्रार्थिनी दिनांक 11/04/2019 को वापस मायके आ गई। उसके बाद महेश नेगी ने प्रार्थिनी को जोर देकर कहा कि अब तुम कभी ससुराल नहीं जाओगी तुम्हारे पति से मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगा। प्रार्थिनी ने जब महेश नेगी से कहा कि उसके पति बी एस एफ में सब इन्सपेक्टर हैं और वे वापस डियूटी पर जाने वाले हैं तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे परन्तु महेश नेगी अपनी जिद पर अड़े रहे उन्होंने प्रार्थिनी से जबरन उसके पति व ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पति द्वारा पूछने पर कि तुमने ऐसा क्यों किया तो जब प्रार्थिनी ने महेश नेगी के बारे में उसके साथ सम्बन्धों की बात बताई तो उसने प्रार्थिनी को बदचलन धोखेबाज कहकर प्रार्थिनी से सारे सम्बन्ध समाप्त कर दिये। महेश नेगी यही चाहते थे। इसके बाद महेश नेगी ने प्रार्थिनी के साथ अनेकों बार जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये और प्रार्थिनी के साथ दुष्कर्म करते रहे। इसके बाद प्रार्थिनी से कहा कि मेरे साथ बाहर घुमने चलो वहाँ हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। प्रार्थिनी मजबूर थी। महेश नेगी कई कई बार प्रार्थिनी को अपने मित्र कृष्ण कुमार भाकुनी उर्फ बबी के हल्द्वानी स्थित फार्म हाउस लेकर गये वहाँ भी इन्होंने कई दिनों तक प्रार्थिनी के साथ जबरन लगातार दुष्कर्म किया। महेश नेगी अपने काम से इटली गया था। और दिनांक 09/07/2019 को वापसी आया। दिनांक 10/07/2019 को सुबह महेश नेगी रुद्रपुर आया और प्रार्थिनी को जबरदस्ती धमकाते हुये अपने साथ दिल्ली ले गया। वहाँ सम्राट होटल में प्रार्थिनी के साथ दिनांक 10/07/2019 को रात में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। दिनांक 11/07/2019 को दिन में हवाई जहाज से महेश नेगी प्रार्थिनी को लेकर देहरादून आया और एम0 एल0 ए0 होस्टल के कमरा न0 62 में ठहरे थे। रात को फिर प्रार्थिनी के साथ महेश नेगी ने दुष्कर्म किया। महेश नेगी प्रार्थिनी को लेकर महेन्द्रनगर नेपाल भी गया और जबरन शारीरिक सम्बंध बनाया। दिनांक 15/09/2019 को क्लब महेन्द्रा बिसर अल्मोडा में महेश नेगी ने प्रार्थिनी के साथ दुष्कर्म किया। जब प्रार्थिनी को गर्भवती होने का पता चला तो प्रार्थिनी ने गर्भवती होने की बात महेश नेगी को बताई तो उन्होंने कहा चिन्ता मत करो अब जो बच्चा होगा हमारा ही होगा मैं तुम्हें व बच्चे को अपना नाम दूंगा और पूरी जिन्दगी तुम्हारा खयाल रखूंगा। इस पर प्रार्थिनी ने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं होंगे तब क्या होगा इस पर महेश नेगी ने कहा कि मैं सब मैनेज कर लूंगा प्रार्थिनी ने महेश नेगी की बातों पर विश्वास किया और सोचा कि वे वास्तव में प्रार्थिनी के साथ कोई धोखा या विश्वासघात नहीं करेंगे। महेश नेगी को अपना सब कुछ मानते हुये उनकी हर मांग पूरी करती चली गयी। महेश नेगी ने तीन बार गर्भवस्था के सम्बन्ध में प्रार्थिनी की चिकित्सीय जच दिनांक 28/07/2019 व 29/07/2019 व 30/07/2019 को देहरादून स्थित सीनरजी अस्पताल में स्वयं उपस्थित होकर करायी है। महेश नेगी प्रार्थिनी को अपने साथ दिल्ली हिमांचल प्रदेश अल्मोडा नैनीताल और नैपाल तक लेकर गये और विभिन्न होटलों में कमरा लेकर प्रार्थिनी के साथ जबरन लगातार दुष्कर्म किया। इसके बाद दिनांक 18/05/2020 को प्रार्थिनी ने शामली के सरकारी अस्पताल में सिजेरियन अपरेशन से बच्ची को जन्म दिया और वही अपनी बच्ची व पति का डी0 एन0 ए0 टेस्ट दिनांक 27/07/2020 को कराया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 04/08/2020 नेगेटिव आई है इसके बाद प्रार्थिनी अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर देहरादून आ गई। जब प्रार्थिनी ने महेश नेगी को बेटी होने की बात बताई तो वो घबरा गये और कहने लगे मैं कैसे मान लूँ वो नवजात बच्ची उन्हीं की है और अपने पिछले वादों से मुकर गये। इस बात का पता जब महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी को लगा तो उसने प्रार्थिनी से मिलने की बात कही प्रार्थिनी के तैयार होने पर दिनांक 10/08/2020 को रीता नेगी ने प्रार्थिनी को राजपुर रोड स्थित पंजाब रेस्टोरेन्ट में बुलाया और वहाँ बोली क्या सोचा तुमने इस पर प्रार्थिनी ने कहा मुझे व मेरी बेटी जो महेश नेगी की है को अपना हक व नाम चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं इस पर रीता नेगी ने प्रार्थिनी के सामने कुछ पैसे रखकर कहा फिलहाल ये पकड़ो 5 लाख रुपये हैं। इतनी रकम शायद तुमने कभी देखी ना हो। यह सुनते ही प्रार्थिनी ने कहा आप मुझे खरीदना चाहती हैं यह कभी सम्भव नहीं होगा पैसों से मुझे व मेरी बेटी का हक नहीं मिलेगा। इस पर रीता नेगी ने कहा मैं तुम्हें 25 लाख रुपये दे दूंगी इसके बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। प्रार्थिनी ने कहा तुम अब कितनी भी बड़ी रकम की बात करो ये मुझे मंजूर नहीं मुझे बस अपना हक मिलना चाहिए और इसके लिए मैं लड़ाई किसी भी हद तक लड़ूँगी बात बनते न देखते हुये हम लोग वापस अपने अपने घर चले गये। पंजाब रेस्टोरेन्ट में रीता नेगी व प्रार्थिनी के मध्य ही बातें हुई वहाँ अन्य कोई नहीं था। घर वापस पहुँचने के बाद महेश नेगी ने प्रार्थिनी को फोन करके कहा क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुली हो तुम मेरी पत्नी की बात मान लो नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है उनसे भी प्रार्थिनी ने अपना बेटी का हक मांगने की बात कही पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने प्रार्थिनी का धर्मपुर स्थित चिल्ली रेस्टोरेन्ट में दिनांक 11/08/2020 को बुलाया और कहा कि देखो इस बात को किसी से मत बताना हमारी बदनामी हो जायेगी। जो भी मदद होगी हम करेंगे सोच लो इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद प्रार्थिनी वापस घर आ गई। इसके बाद अपने बचाव के लिए महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी ने प्रार्थिनी व उसकी भाभी पति व अन्य के विरुद्ध थाना नेहरू कालोनी में एक विस्तृत झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी जिसमें उन्होंने प्रार्थिनी पर उसके पति के झूठे नाजायज सम्बन्ध बनाकर रंगदारी कर करोड़ों रुपये मांगने और उसक बेटे को को जान से मारवा देने की धमकी जैसे जूठे आरोप लगा है। जो सरासर झूठे एवं मनगढ़न्त है। प्रार्थिनी ने कभी भी कोई रकम विपक्षीयण से नहीं मांगी और ना ही किसी भी प्रकार की कोई धमकी दी है बल्कि रीता नेगी ने होटल से वापस जाते हुए प्रार्थिनी को धमकी दी थी कि कि तुझे जो करना है तू करके देख ले तू नहीं जानती हमारी पहुँच कहाँ तक है। तू हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अब हम ही तुम्हें बड़े मुकदमें में बन्द कराकर ही तेरी हेकड़ी का जबाव देंगे। और उन्होंने प्रार्थिनी व अन्य के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाकर अपनी मंशा बता दी है। प्रार्थिनी थाना नेहरू कालोनी में अपने बयान भी सी0ओ0 महोदय के समक्ष दर्ज करा चुकी है। विपक्षी सत्ताधारी पार्टी का विधायक है और प्रार्थिनी के साथ बड़ी संगीन वारदात कारित करा सकता है। श्रीमति रीता भी अपने पति द्वारा किये राये दुष्कर्म के अपराध को धुपाने के लिए प्रार्थिनी पर गलत अनैतिक एवं गैरकानूनी रूप से दबाव बना रही है। तथा अपने पति के अपराध में शामिल है। प्रार्थिनी को अपने साथ अपने भाई भाभी व अन्य परिवार के सदस्यों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। ये लोग अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रार्थिनी व उसके के अन्य सदस्यों की हत्या तक करा सकते हैं। प्रार्थिनी का पूरा परिवार विपक्षीयण की धमकियों से बुरी तरह भयभीत व आतंकित है तथा डर के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। विपक्षी महेश नेगी ने प्रार्थिनी का जीवन बर्बाद कर दिया है प्रार्थिनी कहीं की भी नहीं है। प्रार्थिनी अपनी बेटी व महेश नेगी का डी0एन0ए0 टेस्ट माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार करवाना चाहती है ताकि सत्यता सामने आ सके और प्रार्थिनी को न्याय मिल सके प्रार्थिनी द्वारा महेश नेगी व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15/08/2020 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 16/08/2020 को तथा 17/08/2020 को भी अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना नेहरू कालोनी देहरादून को अविलंब आदेशित किया जावे कि महेश नेगी पुत्र श्री प्रेम सिंह नेगी एवं उसकी पत्नी श्रीमति रीता नेगी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उचित कानून-----

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Neema Rawat Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rakesh Singh Gusain

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 123

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1966		-		चेचक: नहीं
2	महिला	1971		-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)